"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

[क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2004—आषाढ़ 11, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2.—(1) श्री एस. व्ही. प्रभात, भा.प्र.से. (1979), अवकाश से लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, कोष एवं लेखा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री प्रभात द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम (9) के अंतर्गत आयुक्त, कोष एवं लेखा के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

(3) श्री के. डी. पी. राव, भा.प्र.से. (1988) आयुक्त, कोष एवं लेखा, पदेन सचिव, वित्त एवं योजना विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 जून, 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2.—श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. (1987), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क, सहकारिता विभाग एवं आयुक्त, जनसंपर्क को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, कृषि विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2004

क्रमांक एफ 2-1/04/1-8.—श्री व्ही. एस. शालवार, उप-सचिव, राजभवन सचिवालय को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप-सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. श्री याकुब खेस्स, अवर सचिव, श्रम विभाग को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजभवन सचिवालय पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2004

क्रमांक 453/2004/1-8/स्था.—श्री पी. सी. सूर्य, उप-सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 5-5-2004 से 9-5-2004 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-5-2004 से 29-5-2004 तक 20 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 30-5-2004 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. सूर्य को उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. सूर्य अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—राज्य शासन श्री एस. के. मिश्र, भा.प्र.से. (1968) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को उनके आवेदन पर अखिल भारतीय सेवा (डी.सी.आर.बी.) नियमावली, 1958 के नियम 16 (2) के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व, दिनांक 30 जून, 2004 को अपरान्ह से सेवानिवृत्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—श्री एस. के. मिश्र, भा.प्र.से. (1968), मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, दिनांक 30-6-2004 अपरान्ह सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप होने वाले रिक्त पद पर श्री ए. के. विजयवर्गीय, भा.प्र.से. (1969), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जून, 2004

क्रमांक 458/2004/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, अवर सचिव, छ. ग. शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 7-6-2004 से 11-6-2004 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12 एवं 13 जून, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो, अवर सचिव को जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेजीना टोप्पो अवकाश पर नहीं जाती तो अवर सचिव, छ. ग. शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर कार्य करती रहती.

रायपुर, दिनांक 11 जून 2004

क्रमांक 460/2004/1-8/स्था.—श्री टी. आर. नागेन्द्र, वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 14-5-2004 से 29-5-2004 तक 16 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 30 मई, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टी. आर. नागेन्द्र, वित्तीय सलाहकार को आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. आर. नागेन्द्र अवकाश पर नहीं जाते तो वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2004

क्रमांक 462/2004/1-8/स्था.—श्री एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 28-6-2004 से 3-7-2004 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 4 जुलाई, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. मंधानी को. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. मंधानी अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 जून 2004

क्रमांक 464/2004/1-8/स्था.—श्री डी. सी. पाण्डेय, (रा.प्र.से.) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 21-6-2004 से 24-7-2004 तक 34 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 19, 20 जून एवं 25 जुलाई, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. सी. पाण्डेय को संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. सी. पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 जून 2004

क्रमांक 466/2004/1-8/स्था.—श्रीमती विभा चौधरी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 8-6-2004 से 16-6-2004 तक 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्रीमती विभा चौधरी, अवर सचिव, छ. ग. शासन की अवकाश अवधि में श्री के. के. बाजपेयी, अवर सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ उनका कार्य भी देखेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभा चौधरी को अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभा चौधरी अवकाश पर नहीं जाती तो अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करती रहती.

रायपुर, दिनांक 16 जून 2004

क्रमांक एफ 2-9/2004/1-8.—श्री पारसनाथ राम, अनुभाग अधिकारी, राजस्व विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अवर सचिव के पद पर वेतनमान रुपये 10000-325-15000 में पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य-

प्रशासन विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनु. जाति/जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जून 2004

क्रमांक 3619/21-ब/छ.ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 131/11-2-17/2001 दिनांक 7-4-2004 के परिपेक्ष्य में श्रीमती शकुन्तला दास, अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को एतद्द्वारा वापिस की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक 2584/क/भू-अर्जन/01 अ/82 वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	कठौली प. ह. नं. 23	0.12	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) रायपुर संभाग.	कुर्रा कठौली मार्ग के कि.मी. 5/4 पर पर्थरानाला पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक 2586/क/भू-अर्जन/02 अ/82 वर्ष 2001-2002 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	नारी प. ह. नं. 10/25	0.189	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) रायपुर संभाग.	कुरूद कठौली नवापारा मार्ग के कि.मी. 13/10 पर नारी नाला सेतु पहुंच मार्ग के लिए पुल निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक 2579/क/भू-अर्जन/03 अ/82 वर्ष 2001-2002 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	मौरीकला प. ह. नं. 25	0.206	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) रायपुर संभाग.	कुरूद-कठौली नवापारा मार्ग के कि.मी. 13/10 पर नारी नाला सेतु के पहुंच मार्ग के लिए पुल निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक 2580/क/भू-अर्जन/10 अ/82/2003-2004 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	पांहदा	1.03	कार्यपालनअभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) रायपुर संभाग, रायपुर.	पवई नदी पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक 2582/क/भू-अर्जन/10 अ/82/2003-2004 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	सोनेवारा प. ह. नं. 35	0.09	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) रायपुर संभाग, रायपुर.	पवई नदी पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 3 अ/82 वर्ष 03-04/2578.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-मौरीकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.206 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
525, 526, 527, 537, 563, 569, 574, 575, 579, 595, 598,, 567, 596, 603, 604, 613, 561, 565, 566, 536, 535, 614	0.206
योग	0.206

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरूद कठौली नवांपारा मार्ग पर नारी नाला सेतु के पहुंच मार्ग के लिए पुल निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 10 अ/82 वर्ष 03-04/2581.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-पाहंदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
9, 38, 39, 95, 73, 96, 97, 124, 125, 126, 127/1, 127/5, 127/6, 128, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 224, 364, 365	1.03
योग	1.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पत्रई नदी पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 10 अ/82 वर्ष 03-04/2583.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-सोनेवारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
286	0.09
योग	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पवई नदी पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 01 अ/82 वर्ष 03-04/2585.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-कठौली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
367, 375, 376, 377	0.12
383, 384, 385	
योग	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरां कठौली मार्ग के कि.मी. 5/4 पर पत्थरा नाला पुल के पहुंच मार्ग पर पुल निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 02 अ/82 वर्ष 03-04/2587.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-नारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.189 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42, 43, 44, 45, 46, 96/1, 224/2, 225, 227/1, 238, 239, 240	0.189
योग	0.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए [illegible] श्यकता है-कुरूद कठौली नवांपारा मार्ग पर नारी नाला सेतु के पहुंच मार्ग के लिये पुल निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 2 अ/82 वर्ष 02-03/1944.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धमतरी

(ख) तहसील-नगरी

(ग) नगर/ग्राम-मुकुंदपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.29 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
516	0.05
518/1	0.10
121	0.12
519	0.01
518/2	0.10
489	0.15
500	0.20
501	0.13
113/1	0.06
167	0.05
122/5, 166	0.25
165/4	0.02
491	0.08
168	0.14
490	0.15
493	0.14
507	0.54
योग	2.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोन्दूर प्रदायक नहर के अंतर्गत भटका पारा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 3 अ/82 वर्ष 02-03/1945.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धमतरी

(ख) तहसील-नगरी

(ग) नगर/ग्राम-भीतररास

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
739/1	0.09
739/2	0.14
योग	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोन्दूर प्रदायक नहर के अंतर्गत भटका पारा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 4 अ/82 वर्ष 02-03/1945.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-नगरी
(ग) नगर/ग्राम-कसपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.72 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
347	0.40
350	0.32
योग	0.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोन्दूर प्रदायक नहर प्रणाली की सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत झिरींडीह माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 5 अ/82 वर्ष 02-03/1945.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-नगरी
(ग) नगर/ग्राम-गढ़डोंगरी (रै.)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.92 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2/1	0.15
2/2	0.32
3	0.17
37	0.03
36	0.06
38	0.06
39	0.07
44	0.10
125	0.10
126	0.16
129	0.29
130	0.12
131	0.09
132	0.45
133	0.14
134	0.24
168	0.14
170	0.16
260	0.16
261	0.07
262	0.07
264	0.09
265	0.09
266	0.15
267	0.11
268	0.07
269	0.07
276	0.59
563	0.41
562	0.17
567	0.17
574	0.13
573	0.09
572	0.38
584	0.18
587	0.24
588	0.22
586	0.18
591	0.07
592	0.17
616/1	0.50
623	0.13
624	0.26
योग 43	7.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोन्दूर प्रदायक नहर के अंतर्गत सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत गढ़डोंगरी माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 6 अ/82 वर्ष 02-03/1945.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-गढ़डोंगरी (मा.)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.68 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	791	0.57
	792	1.11
योग	2	1.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोन्दूर प्रदायक नहर की सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत झिरींडीह माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 7 अ/82 वर्ष 02-03/1939.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-कंसपुर, प. ह. नं. 94/15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.39 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	345/3	0.25
	345/2	0.14
योग	2	0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोन्दूर प्रदायक नहर प्रणाली की सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत गढ़डोंगरी माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 8 अ/82 वर्ष 02-03/1937.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-गढ़डोंगरी (मा.गु.), प.ह.नं. 94/15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1022/2	0.38

(1)	(2)
1057/2	0.13
1057/1	0.23
1060/4	0.08
1058	0.08
1060/1	0.08
1024	0.07
1025	0.29
योग	1.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोन्दूर प्रदायक नहर के अंतर्गत सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत गढ़डोंगरी माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2004

क्रमांक अ.वि.अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 02 अ/82, वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-रायपुर
(ग) नगर/ग्राम-पथरी दा. खुड़मुड़ी, प. ह. नं. 84
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.860 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
824/2	0.073
824/17	0.074
824/4	0.080
824/5	0.096
824/10	0.004
824/12	0.072
824/13	0.052
829, 828/2	0.236
830/2	0.124
831/2	0.080
837	0.140
839	0.105
842	0.042
844	0.118
824/16	0.073
871, 872	0.053
873/1	0.048
891/4	0.012
841/1	0.093
841/2	0.057
824/3	0.052
873/2	0.176
योग	1.860

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-ग्राम पथरी उप तहसील धरसींवा तहसील रायपुर की निजी भूमि को दक्षिण पूर्व रेल्वे की तीसरी लाईन की निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 जून 2004

क्रमांक क्यू./क/भू-अर्जन/1अ/82 वर्ष 03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-आलेसुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.157 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83/1	2.902
94/1	0.165
97	0.233
94/2	0.675
95	1.375
96	0.255
191	1.007
98	0.144
188	0.053
189/1	0.003
189/2	0.244
190/1	0.774
190/3	0.345
192/1	0.319
193/1	0.058
193/3	0.310
193/2	0.167
193/4	0.137
193/5	0.286
199/1	0.193
199/2	0.247
199/3	0.536
199/4	0.085
200	0.307
202	0.337
योग 25	11.157

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-400/220 के. व्ही. उप केन्द्र स्थापित करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.